अध्याय–6

आंतरिक नियंत्रण, निगरानी तंत्र और अंतर–विभागीय समन्वय

अध्याय–6

आंतरिक नियंत्रण, निगरानी तंत्र और अंतर–विभागीय समन्वय

खान एवं भूतत्व विभाग के परिपत्र (सितम्बर 2005) के अनुसार, अवैध खनन और ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना था। विभाग ने प्रत्येक जिला समाहर्त्ता को महीने में कम से कम एक बार टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित करने और हर महीने के पहले सप्ताह में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन विभाग को भेजने के निर्देश जारी किए (जनवरी 2010)। टास्क फोर्स को अवैध खनन को रोकने के लिए खनन क्षेत्रों की जाँच करना, ईंट भट्ठों का निरीक्षण करना और बालू बंदोबस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करना अनिवार्य किया गया था।

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र संख्या 2622/एम दिनांक 24.09.2012 के अनुसार, अवैध खनन को रोकने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया था और निर्देश जारी किया गया था। अवैध खनन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित पर निर्णय लिया गया और अनुशंसा किया गया:

1. खनन विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण।
2. निरीक्षण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन।
3. संबंधित अंचल कार्यालय और पुलिस प्रभारी द्वारा विस्तृत निरीक्षण।
4. सड़क जाँच के लिए ढांचा।
5. वन क्षेत्र में अवैध खनन का निरीक्षण एवं नियमानुसार कार्रवाई।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के प्रावधान एवं सरकार द्वारा जारी निर्देश (1986) के अन्तर्गत खान निरीक्षक को अवैध खनन का पता लगाने हेतु प्रत्येक तीन माह में ईंट भट्ठों एवं खनन पट्टों के क्षेत्र का निरीक्षण करना था। इसके अलावा, खान उपनिदेशक को वर्ष में एक बार खनन कार्यालयों का निरीक्षण करना होता है। इसके अलावा, बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली इन नियमों के कार्यान्वयन और जिले में लघु खनिजों की उपलब्धता, उत्खनन और व्यापार की निगरानी के लिए राज्य, प्रमंडल और जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के गठन को भी प्रावधित करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त, जिला स्तरीय खनन कार्य बल को भी चाहिए :

1. यह सुनिश्चित करना कि सभी खनन गतिविधियाँ खनन पट्टों की शर्तों के अनुसार चल रही थी।
2. यह सुनिश्चित करना कि लघु खनिज का कोई भी अवैध खनन, अवैध परिवहन, अधिक लदान, जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं किया गया था।
3. लघु खनिजों का समस्त खुदरा व्यापार इन नियमावली के प्रावधान के अनुसार किया जाता था।
4. अधिनियम और नियमावली के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए किसी अन्य विभाग को निर्देश जारी करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि खनन गतिविधि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा के अनुसार की गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.1 अवैध खान रोकने के दिशानिर्देशों का पालन नहीं

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना जिला खनन कार्यालयों में पाया कि 2017–21 के दौरान अवैध खनन/परिवहन/खनिजों का भंडारण लगातार प्रतिवेदित किया जा रहा था। इस दौरान जिला खनन अधिकारियों द्वारा 32,426 छापेमारियाँ की गई, जिसमें 41,289 वाहनों को जब्त किया गया और वाहनों पर खनिजों के ओवरलोडिंग के 18,287 मामले दर्ज किए गए। लेखापरीक्षा ने जब छापे से संबंधित अभिलेखों का विश्लेषण किया, तो पाया कि कुछ भी निष्कर्ष निकालने के लिए अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था। यहाँ तक कि मूल विवरण जैसे खनिज के प्रकार, वाहन विवरण, चालक विवरण, छापे का स्थान आदि अभिलेखों में नहीं पाए गए। इस तरह के विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा उसका विश्लेषण और टिप्पणी नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि खनिजों के अवैध खान के संबंध में कुल 4,608 प्राथमिकी दर्ज की गई और 4,423 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2017–21 के दौरान कुल ₹ 113.30 करोड़ की राशि वसूल की गई। यह स्थिति प्रबल बनी रही (सितंबर 2021) जैसा कि वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही के लिए अवैध खनन के प्रतिवेदन में परिलक्षित होता है। हालाँकि, इन जिला खनन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, 2017–21 के दौरान टास्क फोर्स की आवश्यक 672 बैठकों के मुकाबले केवल 175 बैठकें ही हुई थीं। 2017–21 के दौरान तीन जिला खनन कार्यालयों[1] में कोई संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया **(परिशिष्ट–24)**। इसके अलावा, जैसा कि **अध्याय–4** में भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन द्वारा उजागर किया गया था, खनन क्षेत्रों में अवैध खनन में लगातार वृद्धि देखी गई थी।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि खनन की अवैध गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर चल रही थी और खनिजों के अवैध खनन की रोकथाम के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देशों/परिपत्रों का पालन नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर, खान एवं भूतत्व विभाग ने कहा कि बिहार राज्य ने बड़ी संख्या में अधिकारियों के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई की है, जिनकी अवैध खनन को नियंत्रित करने में भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जिसने जुर्माना राशि बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन कर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश का पालन किया है।

विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की जाती है, हालाँकि, जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अवैध खनन को रोकने के लिए केवल दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है। अवैध खनन का प्रतिवेदन स्व–व्याख्यात्मक है कि राज्य में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बालू खनन नीति, 2013 में बालू खनिजों के अधिक निष्कर्षण के लिए केवल रॉयल्टी लगाने की परिकल्पना की गई है जो पर्याप्त नहीं था। इससे पट्टेदारों द्वारा खनिजों का अवैध उत्खनन बढ़ जाता है।

इसके अलावा, राज्य में अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रणाली और नियंत्रण तंत्र जैसे कि अंतर्राज्यीय/जिला स्तर पर चेक पोस्ट की स्थापना अपर्याप्त पाई गई। अंतर–विभागीय समन्वय का अभाव था क्योंकि अवैध खनन के मामले परिवहन विभाग द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग को हस्तांतरित नहीं किए गए थे और कार्य बल की पर्याप्त बैठकें मानदंडों और निर्देशों के अनुसार नहीं की गयी थीं।

[1] भागलपुर, नालन्दा और सीवान।

6.2 अवैध खनिजों के परिवहन में शामिल जब्त वाहनों के संदर्भ में जिला परिवहन कार्यालयों एवं जिला खनन कार्यालयों के मध्य समन्वय न होने के कारण रॉयल्टी की हानिः ₹ 4.20 करोड़

बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2003 की धारा 4(i) के अनुसार जहाँ किसी भी खनिज का किसी भी स्थान पर परिवहन हो, खनन पट्टा धारक/स्टॉक लाइसेंस धारक परागमन पास जारी करने के लिए सक्षम कार्यालय को दो प्रतियों में फॉर्म ''ए'' में एक आवेदन करेगा। इसके अलावा, बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2003 की धारा 8 (ए) के अनुसार, जो कोई भी नियम 6 के उप नियम (4), (5 ए) और (5 सी) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, को सक्षम न्यायालय द्वारा दो वर्ष तक का कारावास या ₹ 10,000 तक के जुर्माने के साथ–साथ खनिज की कीमत और अन्य करों के साथ रॉयल्टी से दंडित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना जिला परिवहन कार्यालयों के मोटर वाहन निरीक्षक और प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त वाहनों के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया कि प्रवर्तन इकाई ने अप्रैल 2017 और फरवरी 2020 के बीच 8,483 वाहनों को जब्त किया जो अतिरिक्त भार के परिवहन में शामिल थे जिसके परिणामस्वरूप खनिजों (बालू, गिट्टी और पत्थर–चूर्ण) का अवैध परिवहन हुआ। 8,483 वाहनों में से 2,482 की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला परिवहन कार्यालयों ने खनिजों की मात्रा और स्रोत के संबंध में जाँच के लिए किसी भी मामले को खनन कार्यालय को संदर्भित नहीं किया। इसके अतिरिक्त कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य जैसे पारगमन चालान आदि भी जब्ती सूची के साथ नहीं पाया गया जिससे यह निश्चित किया जा सके कि जब्ती अधिकारी द्वारा खनिज की वैधता की जाँच की गई थी। यह भी देखा गया कि सभी 14 जिलों के जिला खनन अधिकारियों ने न ही परिवहन कार्यालय के साथ समन्वय करने के लिए कार्रवाई शुरू की और न ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र कर सके, जबकि अवैध खनन को रोकने के लिए जिला स्तर पर जिला परिवहन पदाधिकारी और जिला खनन अधिकारी दोनों ही टास्क फोर्स के सदस्य थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने परिवहन विभाग को जिला परिवहन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहनों की जब्ती के दौरान खनिजों के चालान के सत्यापन के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया था।

अतः नमूना जांचित जिलों में दो विभागों के बीच समन्वय के अभाव में ₹ 4.20 करोड़ के जुर्माने, रॉयल्टी और शास्ति के रूप में राजस्व की हानि परिणत हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–25** में वर्णित है ।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा कि इस सम्बंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

अनुशंसाः खान एवं भूतत्व विभाग को परिवहन विभाग के साथ एक समन्वय तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि परिवहन द्वारा जब्त किए गए वाहनों को अवैध खनन की जाँच के लिए खनन विभाग को भेजा जा सके।

6.3 कृषि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में अवैध उपयोग के कारण हानिः ₹ 12.77 करोड़

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 7 की उप–धारा (7) के अनुसार, कृषि उपज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर और ट्रेलर को एकमुश्त कर के उद्देश्य से जोड़ा जाएगा और ₹ 3,000 प्रति वर्ष की दर से कर लगाया जाएगा, यदि ट्रैक्टर 25 एच.पी. क्षमता तक सीमित है और ट्रेलर की क्षमता तीन टन से अधिक नहीं है। जहाँ ट्रैक्टर की क्षमता 25 एचपी से अधिक है और ट्रेलर की क्षमता पाँच टन से अधिक नहीं है, वहाँ दर

₹ 5,000 प्रति ट्रैक्टर–ट्रेलर थी। इसके अलावा, बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 7 की उप धारा (8) बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (19 सितंबर 2014 से प्रभावी) में संशोधित के अनुसार, कृषि प्रयोजनों के अलावा अन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल या रखे गए ट्रैक्टर पर मूल्य–वर्धित कर को छोड़कर वाहन की लागत के 4.5 प्रतिशत की दर से वाहन के पूरे जीवनकाल के लिए एकमुश्त कर लगाया जाना था।

14 नमूना जिलों के सम्बंध में खान एवं भूतत्व विभाग, पटना और वाहन डेटाबेस के परियोजना निगरानी इकाई प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के दोहरे सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि कृषि प्रयोजनों के उपयोग के लिए निबंधित 4,830 ट्रैक्टरों को जनवरी 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान 2,27,563 खनिज चालान निर्गत किए गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि इन वाहनों का इस्तेमाल नमूना जिलों में व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग किया जा रहा था। वाहन डेटाबेस के साथ ई–चालान डेटाबेस को एकीकृत न करने के साथ–साथ विभिन्न कार्यालयों के बीच जानकारी साझा करने की कमी के कारण, उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था। जिला परिवहन कार्यालय की प्रवर्तन इकाई तथा खान एवं भूतत्व विभाग कृषि निबंधित वाहनों के व्यावसायिक गतिविधि में उपयोग को रोकने में विफल रहे। खान एवं भूतत्व विभाग के पास इन कृषि प्रयोजन हेतु निबंधित वाहनों को खनिज ई–चालान जारी करने से रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक ट्रैक्टर के एकमुश्त कर एवं परमिट शुल्क के रूप में ₹ 12.77 करोड़ की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट–26** में वर्णित है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

अनुशंसाः खान एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग को खनन डेटाबेस को वाहन के साथ एकीकृत करना चाहिए, ताकि केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए निबंधित वाहनों के लिए ई–चालान निर्गत हो सके और गैर–वाणिज्यिक वाहनों को निर्गत कोई भी ई–चालान स्वचालित रूप से परिवहन विभाग को इंगित किया जा सके।

6.4 वाहन के अनुमेय सीमा से अधिक ई–चालान जारी करने के लिए पट्टेदारों को जुर्माना न लगाने के कारण सरकारी राजस्व की हानि

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 प्रावधित करती है कि जो कोई भी मोटर वाहन चलाता है या धारा 113 या धारा 114 या धारा 115 के प्रावधानों के उल्लंघन में मोटर वाहन को चलाने की अनुमति देता है, उसे ₹ 20,000 का जुर्माना और ₹ 2,000 की अतिरिक्त राशि प्रति टन अतिरिक्त भार, अतिरिक्त भार की उतराई के लिए प्रभारों का भुगतान करने की देयता के साथ दंडनीय है।

चौदह नमूना जिलों के सम्बंध में जिला खान एवं भूतत्व विभाग और वाहन डेटाबेस द्वारा प्रदान किए गए ई–चालान के परियोजना निगरानी इकाई प्रकोष्ठ के डेटाबेस की दोहरा जाँच के दौरान, पाया गया कि 17,03,104 ई–चालान जारी किए गए, जिसमें 85,436 वाहन खनिजों के परिवहन में शामिल थे। उपरोक्त ई–चालानों में उल्लिखित खनिजों की मात्रा खनिजों को ले जाने में शामिल वाहनों की लदान क्षमता से अधिक थी, जो मोटर वाहन अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अनुमेय नहीं थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ई–चालान सॉफ्टवेयर में वाहनों की लदान क्षमता के आकलन के लिए कोई जाँच उपलब्ध नहीं थी और इसे वाहन डेटाबेस के साथ परिमापित नहीं किया गया था। साफ्टवेयर में इस सुविधा के अभाव में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लदान क्षमता से अधिक के वाहनों के 17,03,104 ई–चालान सृजित किए गए जैसा कि **परिशिष्ट–27** में वर्णित है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

अनुशंसाः खान एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग को खनन डेटाबेस को वाहन के साथ एकीकृत करना चाहिए, ताकि ई–चालान निबंधन के समय परिभाषित लदान क्षमता तक सीमित हो और अधिक क्षमता पर सृजित कोई भी ई–चालान स्वचालित रूप से परिवहन विभाग को इंगित किया जा सके।

6.5 अयोग्य वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अनुसार, परिवहन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र धारा 59 और 60 के प्रावधानों के अधीन होगा, एक परिवहन वाहन को धारा 39 के प्रयोजनों के लिए वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसके पास इसका प्रमाण पत्र न हो, ऐसे रूप में फिटनेस जिसमें ऐसे विवरण और जानकारी शामिल हो, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी की जा सकती है, या उप–धारा (2) में उल्लिखित एक अधिकृत परीक्षण स्टेशन द्वारा, इस प्रभाव के लिए कि वाहन समय के लिए अनुपालन करता है होने के नाते, इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं के साथ। इसके अलावा, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुसार, खनिजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए।

14 नमूना जिलों के सम्बंध में परियोजना निगरानी इकाई और वाहन डेटाबेस के दोहरे सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि 2018 से 2020 के दौरान 18,13,797 ई–चालान के माध्यम से खनिज ले जाने के लिए 82,990 अनुपयुक्त वाहनों का उपयोग किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट–28** में वर्णित है। इसने न केवल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग को अपने डेटाबेस को वाहन के साथ एकीकृत करना चाहिए, ताकि अयोग्य एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र के वाहनों पर ई–चालान के सृजन को रोका जा सके और खनिजों को ले जाने पर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन किया जा सके। अनुपयुक्त वाहनों को सृजित कोई भी ई–चालान को अनुपयुक्त वाहनों के संचालन की पहचान करने के लिए परिवहन डेटाबेस में इंगित किया जाना चाहिए।

6.6 नीलामवाद के मामलों का लंबित होना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत सार्वजनिक मांग के रूप में किराए, रॉयल्टी, जुर्माने की राशि की वसूली प्रावधित करता है। इसके अलावा, नीलामवाद नियमावली के अनुसार, आवश्यकता अधिकारी और नीलामवाद अधिकारी नीलामवाद के मामलों[2] के त्वरित निराकरण के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ।

लेखापरीक्षा ने 13 जिला खनन कार्यालयों[3] में पाया कि 31 मार्च 2021 तक इन जिला खनिज कार्यालयों के पास ₹ 229.43 करोड़ के 20,700 नीलामवाद के मामले लंबित थे। इनमें से 2017–21 के दौरान इन जिला खनिज कार्यालयों में केवल 59 मामलों का निराकरण किया गया और ₹ 2.26 करोड़ की वसूली की गई जैसा कि नीचे **तालिका–14** (जिला वार विवरण **परिशिष्ट–29** में है) में दर्शाया गया है।

---

[2] **नीलामवाद मामले**: जब नीलामवाद पदाधिकारी (जिला समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो एसडीओ से कम पद का न हो) संतुष्ट होता है कि समाहर्त्ता को काई भी सार्वजनिक माँग देय है, वह निर्धारित फार्म में प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है, यह बताते हुए कि माँग देय है और उसके कार्यालय में नीलामवाद दायर कर सकता है।

[3] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर भोजपुर, गया, कैमूर, नालन्दा, नवादा, पटना, सारण, शेखपुरा, सीवान और वैशाली।

तालिका–14

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान दर्ज किए गए नीलामवाद के मामले		नीलामवाद मामलों का निराकरण किया गया		अंतिम शेष	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2017-18	18,317	133.56	448	10.29	25	0.69	18,740	143.16
2018-19	18,740	143.16	809	39.42	20	0.74	19,529	181.84
2019-20	19,529	181.84	744	27.26	11	0.59	20,262	208.51
2020-21	20,262	208.51	441	21.16	03	0.24	20,700	229.43
कुल			**2,442**	**98.13**	**59**	**2.26**		

लेखापरीक्षा ने पाया कि नीलामवाद मामलों के त्वरित निराकरण हेतु नीलामवाद अधिकारी[4] की शक्ति सम्बन्धित जिला नीलामवाद अधिकारी को हस्तांतरित (अक्टूबर 2016) की गयी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि प्रधान सचिव ने जिला समाहत्ताओं को नीलामवाद मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (फरवरी 2017) जिसमें जिला खनन अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक आयोजित करना शामिल है जिसमें पंजी 'IX'[5] और पंजी 'X'[6] का मिलान किया जा सकता है और ₹ 10 लाख से अधिक के बकाएदारों की अलग से सूची बनाकर बड़े चूककर्ताओं के मामलों की निगरानी गहनता से की जा सकती है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजी 'IX' और 'X' के मिलान के लिए किसी भी जिला खनन कार्यालय में साप्ताहिक बैठकें आयोजित नहीं की गई थी तथा ₹ 10 लाख से अधिक बकाया वाले बकाएदारों की सूची तैयार नहीं की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला खनन अधिकरियों ने कहा कि नीलामवाद अधिकारी को पत्र भेज दिया गया है और इस सम्बंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

6.7 मानवबल प्रबंधन

अवैध खनन की रोक के लिए प्रमुख नियंत्रण तंत्रों में से एक खनन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के माध्यम से है और यह आवश्यक है कि संबद्ध कर्मचारियों की सहायता से संबंधित खनन गतिविधियों के संचालन, निगरानी और प्रशासन के लिए पर्याप्त अधिकारी हों। अतः संबंधित विभागों की स्वीकृत संख्या के अनुसार मानव बल की तैनाती न केवल एक संगठन के कुशल प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि अवैध खनन की रोकथाम और राजस्व के बकाया की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। विभाग की संवर्ग–वार स्वीकृत बल और कार्यरत बल (2017–18 से 2020–21) का विवरण नीचे **तालिका–15** में दिया गया है:

4 अक्टूबर 2016 से पहले संबंधित क्षेत्र के खान उपनिदेशक नीलामवाद अधिकारी थे और उन पर लंबित नीलामवाद मामलों के निराकरण की जिम्मेदारी थी।

5 अधियाची अधिकारी द्वारा बनाई गई माँगों की एक पंजी।

6 नीलामवाद अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली नीलामवाद की पंजी।

तालिका–15

पद का नाम	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21		
	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)
उपनिदेशक, खान	08	01	07 (87.5)	08	01	07 (87.5)	11	01	10 (90.90)	11	00	11 (100)
सहायक निदेशक, खान	11	03	08 (72.73)	11	02	09 (81.82)	15	01	14 (93.33)	15	01	14 (93.33)
खनन विकास अधिकारी	25	25	0 (0)	25	18	07 (28)	46	18	28 (60.87)	46	16	30 (65.22)
खनन निरीक्षक	38	35*	34 (89.47)	38	04	34 (89.47)	104	03	101 (97.11)	104	02	102 (98.08)
प्रधान लिपिक	23	00	23 (100)	23	00	23 (100)	23	00	23 (100)	107	52	55 (51.40)
लिपिक	76	60	16 (21.05)	76	59	17 (22.37)	76	59	17 (22.37)			

* अन्य विभाग के 32 सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को खान निरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्त किये गये।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सभी संवर्गों में कमी साल दर साल में बढ़ी है। विभाग के खनन सहायक निदेशक, खनन निरीक्षक और खनिज विकास अधिकारी जो मुख्य रूप से परिचालन दक्षता के साथ–साथ अपने–अपने क्षेत्रों में अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं, में रिक्तियाँ उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। सहायक निदेशक, खनन निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी और खान उप निदेशक के संवर्गों में भारी रिक्तियाँ राज्य में राजस्व संग्रह और अवैध खनन के रोकथाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद में वर्णित है। विभाग में प्रधान लिपिक (2019–20 तक) की शत प्रतिशत कमी थी। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस मुद्दे को इंगित किया था, विभाग ने स्वीकृत बल के अनुसार रिक्तियों को नहीं भरा था।

इसके परिणामस्वरूप अवैध खनन की निगरानी में कमी पाई गई जैसा कि **अध्याय–4** की कण्डिकाओं से पाया गया है और अवैध खनन की लगातार सूचना दी गई है और राज्य के राजस्व की रक्षा में उचित मूल्यांकन के माध्यम से राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण और निर्धारित अवधि के अन्दर सभी खान पट्टों की बंदोबस्ती में कमी आई है।

इसे इंगित किये जाने पर, संबंधित जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि विभाग को अनुरोध पत्र भेज दिया गया है। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतिक्षित है (मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग को महत्वपूर्ण पदों को तत्काल भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और अधिकारियों के माध्यम से अपनी शक्ति का निष्पादन करना चाहिए और समय–समय पर भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन और खनन डेटाबेस के विश्लेषण के माध्यम से निकासी की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर एक तकनीकी सेल की स्थापना करनी चाहिए।

6.8 अपर्याप्त निरीक्षण

विभागीय निरीक्षण संगठन के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनन निरीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह निकासी प्रतिवेदन के भौतिक सत्यापन के लिए

त्रैमासिक आधार पर ईंट भट्ठों और खनन पट्टे के क्षेत्र का निरीक्षण करे। खनन पट्टा क्षेत्र का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना प्रत्येक जिला खनन अधिकारी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, खान उप निदेशक को वर्ष में एक बार खनन कार्यालय का निरीक्षण करना चाहिए।

केवल पाँच जिला खनन कार्यालयों[7] द्वारा ईट भट्ठों, बालू पट्टा एवं पत्थर खदानों के निरीक्षण एवं खनन कार्यालयों के खान उप निदेशक द्वारा निरीक्षण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराये गये। 2017–18 से 2020–21 की अवधि के लिए इन जिला खनन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती कण्डिकाओं में की गई है।

6.8.1 ईट भट्ठों, बालू घाटों और पत्थर खदानों का सत्यापन/निरीक्षण नहीं होना

नीचे दिए गए **चार्ट–12** में पाँच जिलों में ईंट भट्ठों के संचालन के सम्बंध में खनन अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों पर प्रकाश डाला गया है।

चार्ट–12

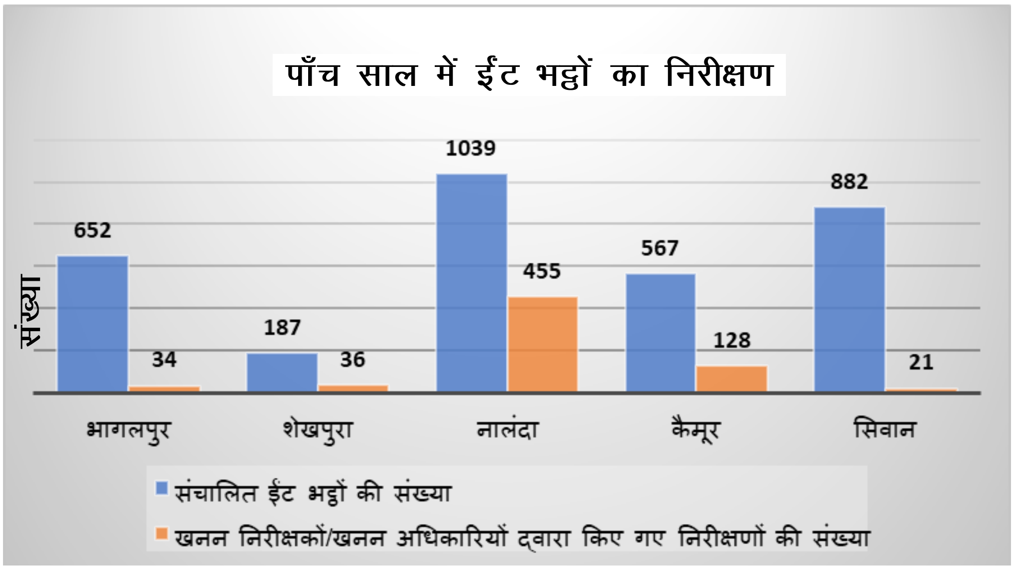

(स्त्रोत : जिला खनन कार्यालयों द्वारा सूचना उपलब्ध कराया गया)

2017–2021 के दौरान शेखपुरा में खान निरीक्षकों द्वारा पत्थर खदानों के कुल 63 निरीक्षण किये गये थे और बालू पट्टा संचिकाओं में भागलपुर, नालंदा, कैमूर और सीवान के बालू घाटों के निरीक्षण से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाया गया था। खनन पट्टा क्षेत्रों का निरीक्षण नियमित अंतराल पर किया जाना आवश्यक था क्योंकि यह अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करता है। पट्टा क्षेत्रों के ऐसे नियमित निरीक्षण के अभाव में पट्टा क्षेत्रों में अवैध खनन की गतिविधियों में वृद्धि हुई जैसा कि **अध्याय–4** के कण्डिकाओं में पाया गया है।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि इस सम्बंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

[7] **ईट भट्ठा** : भागलपुर, कैमूर, नालन्दा, सीवान और शेखपुरा; **बालू** : भागलपुर, कैमूर, नालन्दा और सीवान; **पत्थर** : शेखपुरा।

6.8.2 विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी पाँच जिला खनन कार्यालयों का निरीक्षण 2017–18 से 2020–21 के दौरान खान उप निदेशक द्वारा नहीं किया गया था। विवरण नीचे **तालिका–16** में है:

तालिका–16

जिला खनन कार्यालय का नाम	2017–18 से 2020–21 के दौरान खान उप निदेशक द्वारा किया गया निरीक्षण
भागलपुर	शून्य
कैमूर	शून्य
नालंदा	शून्य
शेखपुरा	शून्य
सीवान	शून्य

विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उचित निरीक्षण के अभाव के परिणामस्वरूप अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज की अपर्याप्त निगरानी हुई। शेष नौ जिलों में निरीक्षण से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। यदि सभी खदानों का निरीक्षण किया गया होता तो कमियों की पूरी मात्रा विभाग के संज्ञान में आने से विभाग को अनियमित खान गतिविधियों को नियंत्रित करने या उचित मूल्यांकन और राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि इस सम्बंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।